न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :–188/2020/कैम्प टोंक

रामदयाल पुत्र लच्छू जाति गुर्जर निवासी मोटूका तहसील टोंक राज0

–अपीलांट

बनाम

1. कंवरपाल पुत्र किशना जाति गूर्जर निवासी मोटूका तहसील टोंक।
2. सन्तोष पत्नि कंवरपाल जाति गूर्जर निवासी मोटूका तहसील टोंक।
3. भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोंक।

–रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 19.12.2007

उपस्थित अभि0:–

1. अपीलांट अभि0– श्री शिवजीराम चौधरी
2. रेस्पोडेंट अभि0–अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः–17.02.2023**

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 को ग्राम मोटूका तहसील टोंक जिला टोंक में दिनांक 29.06.2002 को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खसरानम्बर 570 में 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट रामदयाल पुत्र लच्छू गूर्जर द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कराने बाबत जिला कलक्टर न्यायालय टोंक में एक प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत 32/2005 नम्बर से दर्ज करवाया था। बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 29.12.2007 को जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) को निरस्त करते हुए आवंटन दिनांक 29.06.2002 को यथावत रखा। जिला कलक्टर टोंक के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा दिनांक 10.03.2008 को तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में अपील प्रस्तुत की गई। जिसे 16/2008 नम्बर दिया गया था। उक्त अपील में अपीलांट द्वारा निम्न आधार बताये गये है–

1. आवंटन के समय भूमि अपीलांट के कब्जे थी पर आज तक उसका कब्जा चला आ रहा है। इस उसने कुऐ का निर्माण भी करवा रखा है।

2. आवंटी द्वारा कोई कब्जाकाश्त नहीं किया गया है।

3. आवंटीत भूमि छोटी पट्टी के रूप में थी जिसे लगाकर ही आवंटन किया जाना चाहिए था। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.12.2007 को दिनांक 29.06.2002 को निरस्त किया जायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय आरएए टोंक द्वारा दिनांक 12.03.2008 को मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बाबत आदेश दिया गया। उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद

अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र , स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 28.09.2010 को तत्समय न्यायालय आरएए टोंक द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने के आदेश दिये। जिसकी पालना करते हुए दिनांक 03.08.2011 को तहसीलदार टोंक द्वारा मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय आरएए टोंक द्वारा दिनांक 27.01.2020 को राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधीसूचना दिनांक 17.10.2019 को पत्रावली को न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से सुनवाई हेतु प्रेषित की गई।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बताया कि हम शिकायत कर्ता है। 2002 में आवंटन रेस्पोडेंट 1 व 2 के पक्ष में 10 बिस्वा किया गया है। आवंटित रकबा हमारे खेत से जुड़ा हुआ है। पास में नाला है। कुछ रकबा नाले में भी आ गया है। विवादित आराजी में हमारा कुआं है। मौका निरीक्षण दिनांक 28.07.2011 के अनुसार मौके पर आवंटी कंवरपाल व संतोष का कभी कब्जा नहीं रहा है। आवंटन निरस्त किया जायें।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार रेस्पोडेंट कुछ दिन पहले अपीलाधीन निर्णय की आड़ में प्रार्थी से विवाद करने लगे तब प्रार्थी को ज्ञात हुआ। तब दिनांक 05.03.2008 को टोंक जाकर नकल हेतु आवेदन दिया। दिनांक 07.03.2008 को नकल प्राप्त हुई। उसके बाद दो दिन का अवकाश था। दिनांक 10.03.2008 को अपील प्रस्तुत कर दी गई है देरी को क्षमा किया जायें।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायालय आरएए टोंक में दिनांक 10.03.2008 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 570 पर उसका कब्जा चला आ रहा है तथा कुऐं का निर्माण भी किया हुआ है। आवंटन की आड़ में अप्रार्थी उसे बेदखल करने पर आमादा है। रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति बनायी रखी जायें। तत्समय पीठासीन अधिकारी आरएए टोंक द्वारा दिनांक 12.03.2008 को मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बाबत अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया था। मौका कमिशनर रिपोर्ट दिनांक 28.07.2011 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का कब्जा अन्य खसरा नम्बर 870 पर है तथा उसका कुआं भी उसी पर बना हुआ है। अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं होने से अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 570 रकबा 10 बिस्वा कंवरपाल पुत्र किशना, संतोष पत्नि कंवरपाल कौम गुर्जर निवासी मोटूका के नाम राजस्व रिकोर्ड में गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 806 नाला के पश्चिम की ओर स्थित है। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 870 का कुछ रकबा खाल/नाला में शामिल हो गया है एवं इसी खसरा नम्बर 870 में रामदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण कौम गुर्जर का कुआं बना हुआ है। मौतविरान के बतलाये अनुसार शेष रकबा पर रामदयाल पुत्र लक्ष्मीनारायण गोपाल पुत्र श्योनारायण , ईसर भोजा आदि का कब्जा होना बताया है। जबकि रेस्पोडेंट 1 व 2 को खसरा नम्बर 570 में 10 बिस्वा आवंटित हुई है। मौका रिपोर्ट खसरा नम्बर 870 की प्रस्तुत की है। जो अन्य खसरा नम्बर की है। तत्समय अपीलांट की यह बात साबित नहीं हो पायी कि विवादित आराजी में उनका कुआं है। जबकि मौका कमिशनर रिपोर्ट में कुआं खसरा नम्बर 870 में बताया गया है। अधीनस्थ निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक दिनांक 19.12.2007 का अवलोकन किया गया है। उसके अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेंट के आवेदन पत्र की जांच कर एलआर के सत्यपान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:16 IST
Reason: SelfAttested

बाद तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और भू–आवंटन कमिटी द्वारा आवंटन नियमानुसार किया जाकर दिनांक 10.07.2002 को आवंटीत भूमि पर कब्जा रेस्पोडेंट 1 व 2 को सौंपा गया था। ऐसी स्थिति में अपीलांट की इस बात को नहीं माना जायेगा कि रेस्पोडेंट 1 व 2 का कब्जा नहीं है। जहां तक भूमि के छोटी पट्टी के रूप में होने की बात कहीं गई है। यह भूमि आवंटन के नियम 1970 के नियम 19 में वर्णित किया गया है तथा नियम 19(2) के अनुसार यदि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसी छोटी पट्टी के लिये आवेदन किया जाता है तो निलामी के माध्यम से उक्त आवंटन प्रक्रिया को सम्पूर्ण किया जाये। मगर वर्तमान प्रकरण में अपीलांट द्वारा उक्त भूमि बाबत आवंटन प्राप्त करने बाबत कोई आवेदन पत्र दिया गया था, यह नही बताया गया है। ऐसी स्थिति में यहीं माना जायेगा कि अपीलांट द्वारा छोटी पट्टी को प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया था और जब एक ही व्यक्ति द्वारा आवंटन हेतु आवेदन पत्र लगाया गया हो तो उसे ही आवंटन किया जायेंगा जो वर्तमान प्रकरण में सही रूप से किया गया है। अपीलांट अपनी बात को सिद्ध नही कर पाये है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 32/2005 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश बहक रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 दिनांक 29.06.2002 व निर्णय दिनांक 19.12.2007 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:16 IST
Reason: SelfAttested